झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
पंचदश (बजट) सत्र
वर्ग–03

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न बुधवार,दिनांक :– 17 माध,1940 (श0) .....को 06 फरवरी,2019(ई0)

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पत्र अंकित रहेंगे :–

क0 0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
126.	अ0सू0–16	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी,	कार्रवाई करना।	पथ निर्माण	31.01.19
127.	अ0सू0–14	श्री बिरंची नारायण,	आवंटन प्रकिया पूर्ण करना।	नगर विकास एवं आवास	28.01.19
128.	अ0सू0–10	श्री प्रदीप यादव,	निर्माण कार्य शुरु कराना।	पथ निर्माण	22.01.19
129.	अ0सू0–07	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता,	अवधि विस्तार करना।	ग्रामीण विकास	16.01.19
130.	अ0सू0–09	श्री योगेश्वर महतो,	नीतिगत् निर्णय लेना।	पेयजल एवं स्वच्छता	22.01.19
131.	अ0सू0–15	श्री प्रदीप यादव,	कार्रवाई करना।	पथ निर्माण	30.01.19
132.	अ0सू0–17	श्री राधाकृष्ण किशोर,	निर्माण कार्य पूर्ण कराना।	भवन निर्माण	31.01.19

रॉंची,
दिनांकः–06फरवरी,2019(ई0)

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः–प्रश्न–05/2015–1113/वि0स0,रॉंची, दिनांकः– 04/02/19

प्रतिलिपि :–झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

04/02/19
(गिरवरधारी प्रसाद)

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-05/2015-1113/वि0स0,राँची, दिनांकः- 04/02/19

प्रतिलिपि :-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 04/02/19

(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-05/2015-1113/वि0स0,राँची, दिनांकः- 04/02/19

प्रतिलिपि :- कार्यवाही शाखा, बेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा, एवं आवश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 04/02/19

(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

गोपी/

जितेन्द्र 02/02/19

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा0, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 06.02.2019 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–16 का उत्तर प्रतिवेदन :– 126

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि राज्य के कई प्रमुख सड़कों पर कलभट/पुल/पुलिया का निर्माण सिविल इंजीनियरिंग मैनुअल के आधार पर नहीं होने के कारण कहीं पर हैवी तो कहीं पर कम, ब्रेकर की भूमिका में बने हुए है, जिससे आवागमन के क्रम में वाहन टकराने से दुर्घटना घटित होते रहती है ; 2. क्या यह बात सही है कि कलभट/पुल/पुलिया निर्माण के क्रम में संवेदक एवं इंजीनियर के द्वारा डयवर्शन के पैसे का सदुपयोग सही तरीके से नहीं करने की वजह से प्रोपर डायवर्शन नहीं बन पाता है, फलस्वरूप पुरे राज्य में अभी तक हजारों बेगुनाह राहगीरों की जान चली गई है तथा उन हजारों मृतकों के परिवार को मुआवजा भी नहीं मिल पाया है, यहाँ तक की उन मृतकों की सूची भी राज्य सरकार के पास नहीं है ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सिविल इंजीनियरिंग मैनुअल को दरकिनार कर गलत तरीके से कलभट/पुल/पुलिया का निर्माण एवं गलत डायवर्शन का निर्माण करने वाले संवेदक एवं इंजीनियर पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक । पथ निर्माण विभाग द्वारा पथों का निर्माण मानकों के अनुरूप विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के आधार पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत Specification for Road & Bridges पर आधारित होता है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–05/2019 813(5) राँची/दिनांक : 05/02/19

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1044 दिनांक 31.01.2019 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

5/2/19
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11– अ0सू0–05/2019 813(5) राँची/दिनांक : 05/02/19

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

5/2/19
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

127

श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–06.02.2019 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–14 का उत्तरः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची द्वारा एक विज्ञापन दिनांक–29.06.2011 को राँची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और डाल्टनगंज में अवस्थित मकान/फ्लैट और भू–खण्ड के आवंटन हेतु प्रभात खबर अखबार में दिनांक–30.06.2011 को प्रकाशित किया गया एवं दिनांक–20.08.2011 को वीडियोग्राफी कराते हुए विधिवत् लाटरी सम्पादित कर राँची के लिए कुल–209 आवेदकों में भू–सम्पदा का आवंटन हुआ, एवं इसके उपरांत 39 आवंटियों से भू–सम्पदा की पूर्ण राशि और 116 आवंटियों से कुल राशि का 50% से अधिक राशि जमा लेते हुए कुल करीब 16 करोड़ से अधिक रूपये आवास बोर्ड द्वारा उक्त 209 आवंटियों से जमा ली गई और 23 आवंटियों को बोर्ड द्वारा आवंटित भू–सम्पदा का दखल कब्जा भी दे दिया गया,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इसके बाद दिनांक–07.04.2015 को आवास बोर्ड ने अपनी 40वीं बैठक में केवल राँची के 209 आवेदकों के आवंटन को रद्द कर दिया, जिसके विरूद्ध ये आवेदकगण माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में न्याय हेतु याचिका दाखिल किए, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा भी आवास बोर्ड की उक्त 40वीं बैठक के आवंटन रद्द करने के निर्णय को Quashed करते हुए आवेदकों को राहत दी गई,	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि बोर्ड द्वारा दिनांक–07.04.2015 को आवंटन रद्द करने से पूर्व प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल की अध्यक्षता में बनी 4 सदस्यीय जांच–दल द्वारा कराई गई जांच में भी यह बात प्रमाणित हुई है कि गलत तरीके से किसी को लाभान्वित करने की पुष्टि नहीं हुई है और सम्पूर्ण लाटरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी गई है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त 209 आवेदकों को उक्त आवंटन के आलोक में आवंटित भू–सम्पदा का दखल कब्जा दिलाते हुए आवंटन की प्रक्रिया को पूर्ण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्ष 2011 में आयोजित लॉटरी द्वारा आवंटित 209 सम्पदाओं के आवंटन को विभागीय पत्रांक–192 दिनांक–21.03.2015 द्वारा रद्द कर दिया गया है। दिनांक–13.07.2018 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुए समीक्षात्मक बैठक में किए गये निर्णय अनुसार कार्यवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–7/न०वि०आ०/अ०सू०–01/2019 .....568..... राँची, दिनांकः 05/02/19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं० प्र०–940 वि०स०, दिनांक–28.01.2019 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

05.02.2019

सरकार के अवर सचिव।

(128)

श्री प्रदीप यादव, मा0, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 06.02.2019 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि दिनांक–06 अप्रैल, 2017 में साहेबगंज–मनिहारी के बीच 2266 करोड़ रूपये की लागत से गंगा नदी पर पुल का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा किया गया था (दैनिक जागरण, राँची, 07 अप्रैल 2017) ; 2. क्या यह बात सही है कि एक साल 9 माह का समय बीत जाने के बाद भी उक्त पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है ; 3. क्या यह बात सही है कि उक्त पुल के निर्माण होने से कई राज्यों से झारखण्ड का सीधा सम्पर्क हो जाएगा जिससे व्यापार व विकास के नए मार्ग प्रशस्त होंगे ; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त महत्वाकांक्षी योजना पुल निर्माण कार्य को अविलंब शुरू कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	साहेबगंज स्थित गंगा नदी पर 4 लेन पुल निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा कार्यान्वित किया जाना है । यह केन्द्र सरकार की परियोजना है । 2. NHAI द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रियायतग्राही (Concessionaire) संवेदक के साथ एकरारनामा की तिथि 06.03.2018 है । 3. संवेदक रियायतग्राही द्वारा वित्तीय व्यवस्था की जा रही है । वित्तीय व्यवस्था पूरी होने पर निर्माण कार्य हेतु समुचित कार्रवाई की जाएगी । 4. परियोजना की लागत रू0 2598 करोड़ है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–03 / 2019 814(5) राँची / दिनांक : 05/02/19

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 735 दिनांक 22.01.2019 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

5/2/19
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–03 / 2019 814(5) राँची / दिनांक : 05/02/19

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

5/2/19
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(129)

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक 06.02.2019 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0– 07 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में कुल–24 जिला अभियंता के पद सृजित है जिसके विरूद्ध मात्र–05 जिलों में ही उक्त पद पर अभियंता कार्यरत है जो निकट भविष्य में ही सेवानिवृत्त होने वाले भी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में कुल 18 जिला अभियंता का पद सृजित है। जिसके विरूद्ध सम्प्रति 6 जिलों में विभाग द्वारा जिला अभियंता पदस्थापित हैं। जिनके सेवानिवृत के संबंध में स्थिति निम्नवत हैः– 1. 3 (तीन) जिला परिषदों यथा हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम एवं बोकारो में जिला परिषद संवर्ग के सहायक अभियंता जिला अभियंता के प्रभार में है। जिनके संबंध में सूचना निम्नवत हैः– (क) हजारीबाग– श्री चन्द्रभूषण सिंह जो कि 30.06.2027 को सेवानिवृत होने वाले हैं। (ख) पूर्वी सिंहभूम– श्री सुरेश कुमार विद्यार्थी, जो कि 31.10.2021 को सेवानिवृत होने वाले हैं। (ग) बोकारो– श्री हरि दास जो कि 31.12.2027 को सेवानिवृत होने वाले हैं। 2. 3 (तीन) जिलों यथा चतरा, लोहरदगा एवं गुमला में सेवा प्राप्त अभियंताओं को जिला अभियंता के रूप में पदस्थापित किया गया है। जिनके संबंध में सूचना निम्नवत हैः– (क) चतरा– श्री राम कुमार सिंह जो कि सितम्बर 2019 को सेवानिवृत होने वाले हैं। (ख) गुमला – श्री तारणी प्रसाद मुखिया जो कि मार्च 2027 को सेवानिवृत होने वाले हैं। (ग) लोहरदगा– श्री तारणी प्रसाद मुखिया (अतिरिक्त प्रभार) जो कि मार्च 2027 को सेवानिवृत होने वाले हैं।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्यहित में सेवानिवृत्त होने वाले जिला अभियंताओं को एक नियत वेतन पर अवधि विस्तार/पुनर्नियुक्त करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। रिक्त स्थानों पर जिला परिषद के अभियंता न होने की स्थिति में विभागीय पत्रांक 208 दिनांक 19.01.2018 द्वारा आदेश निर्गत है कि संबंधित जिले में पदस्थापित एन0आर0ई0पी0 एवं विशेष प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता तथा ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग) में पदस्थापित सुयोग्य कार्यपालक अभियंता स्तर के पदाधिकारियों को जिला अभियंता के पद पर पदस्थापित किया जायेगा।

..2/..

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0)–05/2019–300–/, राँची, दिनांकः– 5.2.19

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 403 दिनांक 16.01.2019 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.02.19
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0)–05/2019–300–/, राँची, दिनांकः– 5.2.19

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

05.02.19
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0)–05/2019–300–/, राँची, दिनांकः– 5.2.19

प्रतिलिपिः– उप निदेशक–सह–नोडल पदाधिकारी (**OASYS**), ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

05.02.19
सरकार के उप सचिव।

(130)

श्री योगेश्वर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 06.02.2019 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–09 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूर्व में बड़ी संख्या **"बहु पंचायत जलापूर्ति योजना"** का निर्माण वर्ष 2002 से शुरू हुआ है एवं वर्त्तमान में इनका निर्माण हो रहा है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि निर्मित बहु पंचायत जलापूर्ति योजनाओं के संचालन मुखिया एवं जलसहिया के संयुक्त देख–रेख में करने का प्रावधान है।	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि मुखिया एवं जलसहिया के संयुक्त संचालन की जिम्मेवारी जनहित में पुरी तरह विफल हो रहा है। जनहित की इतनी महत्वपूर्ण योजनाएँ संचालन के अभाव में मृतप्राय है। इसके संचालन में न तो ये समय देते है न जलकर की समय पर उगाही होती है और न ही रख–रखाव किया जाता है, जिससे उक्त बहुत सारी योजनाओं का संचालन ठप पड़ गया है। लोगों को शुद्ध पेयजल मिलना बंद है।	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्त्तमान में Village Water & Sanitation Committee द्वारा योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। कई योजनाएँ सफलतापूर्वक VWSC द्वारा संचालित की जा रही है, तो कहीं पर संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है।
4	यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त योजना के संचालन के लिए नितिगत निर्णय लेते हुए गैर सरकारी संगठनों या विभागीय स्तर से कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	VWSC को सुदृढ करने एव पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर Capacity build करने का कार्य किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक– JSWSMS/W0/09/2019 – 89 दिनांक 4.2.19

प्रतिलिपि –अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–734 वि0स0 दिनांक 22.01.2019 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचनाा एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.2.19

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक– JSWSMS/W0/09/2019-89 दिनांक 4.2.19

प्रतिलिपि –सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्र0–5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.2.19

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

131

श्री प्रदीप यादव, मा0, स0वि0स0 [redacted] द्वारा दिनांक 06.02.2019 जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि गोविन्दपुर से साहेबगंज तक 300 कि0मी0 लम्बाई की सड़क 2018 में ही 100 करोड़ की लागत से पूर्ण हुआ है ;	आंशिक स्वीकारात्मक । गोविन्दपुर से साहेबगंज, लम्बाई का कार्य रू0 914.366 करोड़ व वर्ष 2017 में चार खण्डों में पूर्ण है।
2. क्या यह बात सही है कि सड़क निर्माण का काम घटिया हाने के कारण काम समाप्त होते ही पुनः करोड़ों का मरम्मति हेतु टेण्डर हुआ है ; (दिनांक–22.11.2018 का टेण्डर नोटिस)	आंशिक स्वीकारात्मक । Defect Liability Period अवधि क्षति के लिए एकरारनामा के प्रा संवेदक से वसूली करते हुए प हेतु कार्रवाई की गयी है ।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क निर्माणकार्य का जाँच कराकर कम्पनी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	एकरारनामा के उपबंधों के तहत संवेदक से रू0 38.1261 करोड़ व गयी है । पथ का सुधार कार्य कराया जा रहा है । कार्य प्रगति

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–04/2019 816(S) राँची/दिनांक : 05/0

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 30.01.2019 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित्।

सरकार के अ
पथ निर्माण विभाग, झा
5.2.19

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11– अ0सू0–04/2019 816(S) राँची/दिनांक : 05

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय क राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सरकार के अ
पथ निर्माण विभाग, झा
5.2.19

श्री राधाकृष्ण किशोर, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 06.02.19 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 17 का कंडिकावार उत्तर प्रतिवेदनः–

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड विधानसभा के नये भवन का निर्माण कार्य अगस्त, 2018 तक पूर्ण कर लिया जाना था, परन्तु उक्त भवन का निर्माण कार्य 25 जनवरी, 2019 तक पूर्ण नहीं किया जा सका है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 24 जनवरी, 2019 है। वर्त्तमान में कार्य 80% हो चुका है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड विधानसभा के नये भवन का निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है हाँ, तो, कबतक, नहीं तो क्यो?	वर्त्तमान में भवन को पूर्ण रूप से functional करने हेतु तकनीकी कारणों के कारण निर्धारित तिथि 24 जनवरी, 2019 तक कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, कार्य प्रगति पर है तथा कार्य जून, 2019 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

5/2/19

संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः- 276(अ) राँची, दिनांकः- 05-2-19

प्रतिलिपिः- श्री छोटेलाल, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक- 1045 वि0स0 दिनांक- 31.01.19 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/2/19

संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।